न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/39/2020 दायर दिनांक 14.10.2020

उनवान

1. देवीलाल पुत्र छगन लाल जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पुत्र शम्भुलाल जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. प्रेमी पुत्री शम्भुलाल जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. शंकरी बाई पत्नी जमनालाल जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. नारी पुत्री मेमदी जाति कंजर आयु वयस्क निवासी मेवदा कॉलोनी तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 23.01.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत 2074—77 के खाता संख्या 40 के आराजी नम्बर 334 रकबा 0.35 हैक्ट0, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.55 हैक्ट0, आराजी नम्बर 337 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 357 रकबा 0.04 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 प्रार्थी का जरिये विक्रय पत्र के 1/4 हिस्सा निहित होकर कब्जे काश्त का है।

यह कि इसी ग्राम कि जमाबन्दी संवत 2074—77 तक कि जमाबन्दी कि खाता संख्या 41 में अंकित आराजी नम्बर 336 रकबा 0.38 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा निहीत होकर कब्जे काश्त का है एवं इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

यह कि कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात को प्रार्थी ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.01.2019 को विक्रेता श्रीमती शिला पुत्री शरदारीया कंजर का पुर्ण हिस्सा 1/4 वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त कर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा काबिज काश्त कर रहा है।

यह कि राजस्व रेकार्ड में बटवाडा अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपने हक हिस्से में बाड (तारबन्दी करने से) अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध रूप से रोक कर अवरोधित कर रहे है व लडाई झगडा करने पर उतारू है और प्रार्थी के कब्जे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नुकसान भी पहुचाते है इस लिये प्रार्थी द्वारा क्रय सुदा आराजीयात कब्जे को ध्यान में रखते हुए बटवाडा किया जाकर प्रार्थी के हक हिस्से का अलग नम्बर वगैरा विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:18 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे सुदा भू–भाग का बटवाडा नहीं होने का लाभ उठा कर दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर कब्जा करवा प्रार्थी को बेदखल करने की मंशा रखते है जबकी प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात को क्रय करने उपरान्त आराजीयात में बरसात ऋतु में मक्का व उडद मुंग की फसल काश्त की व वर्तमान में गेंहू की फसल काश्त कर रखी है अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात में अनाधिकृत प्रवेश कर नुकसान पहुँचाते है क्योंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण कि आराजीयात संयुक्त होने व पुख्ता सीमा बन्दी नहीं होने के कारण आये दिन लडाई झगडा कर कब्जा करने की कोशिश करते है इसलिये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमा पाबन्द करावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगडा गाली गलोच नहीं करे।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। पूर्व में दिनांक 26.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थी ने बहस एकतरफा हेतु निवेदन किया। बहस एकतरफा सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत 2074–77 के खाता संख्या 40 के आराजी नम्बर 334 रकबा 0.35 हैक्ट0, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.55 हैक्ट0, आराजी नम्बर 337 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 357 रकबा 0.04 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य आराजीयात का विभाजन नहीं हो रखा है। राजस्व रेकार्ड में बटवाडा अंकित नहीं होने से प्रार्थी को अपने हक हिस्से में बाड (तारबन्दी करने से) अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध रूप से रोक कर अवरोधित कर रहे है व लडाई झगडा करने पर उतारू है और प्रार्थी के कब्जे में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर नुकसान भी पहुचाते है। व अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे प्रार्थी को बेदखल नहीं करे।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिये निम्न बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

प्रथम दृष्ट्या मामला– हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी मौजा मेवदा कॉलोनी पटवार हल्का मुंगाना तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत 2074–77 के खाता संख्या 40 के आराजी नम्बर 334 रकबा 0.35 हैक्ट0, आराजी नम्बर 335 रकबा 0.55 हैक्ट0, आराजी नम्बर 337 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 356 रकबा 0.06 हैक्ट0, आराजी नम्बर 357 रकबा 0.04 हैक्ट0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.04 हैक्ट0 जिसमें प्रार्थी का 1/8 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, का अवलोकन किया। प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये यह साक्ष्य का विषय है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान हक हिस्सा अनुरूप कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवाडा करवाना चाहता है। समस्त पत्रावली के अवलोकन से हमारा स्पष्ट अभिमत है कि दर्ज अभिलिखित सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:18 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का सन्तुलन– प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible]या गया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात के उपयोग उपभोग [illegible] व जबरन बेदखल करने पर आमादा है। परन्तु प्रार्थी प्रस्तुत दस्तावेजों मे यह सि[illegible] नहीं करा पाए है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को असुविधा प्रदान कर रहे है। ऐसी स्थिति में [illegible]ारा अभिमत है कि उभयपक्ष विवादित

आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। खातेदार अपने हक हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति– जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है, विवादित आराजीयात उभयपक्ष के नाम सहखातेदारी से दर्ज अभिलिखित है। प्रार्थी एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल करना चाहते है, जिसमें प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति, नुकसान होना जाहिर नहीं पाया गया। अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित कराये जाने में असफल रहे है। चूंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त सामलाती आराजी है जिस पर प्रत्येक खातेदार का खातेदारी अधिकारों में उपयोग व उपभोग का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक खातेदार अपने अपने हक हिस्से तक खातेदारी अधिकारो का उपयोग/उपभोग कर सकता है। सामलाती भूमि होने से बिना बंटवारे में खातेदारों का हक हिस्सा निश्चित नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 59/2020 अनवान देवीलाल बनाम देवीलाल के साथ हम किता रहे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.08 11:31:18 IST
Reason: SelfAttested